लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 87 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 21.10.2019

श्री राहुल जैन एडवोकट पिता निर्मल कुमार जैन निवासी अणु किरण कॉलोनी, रावतभाटा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक **05.11.2019**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.08.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 87 / 2019 / (05.11) / 615 दिनांक 21.10.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को दिनांक 05.11.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 05.11.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 87 / 2019 (सू.अ.)
श्री राहुल जैन एडवोकेट निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा ने अपने पत्रांक/2019/694 दिनांक 04.11.219 से कमेन्ट्स प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी श्री राहुल जैन द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से नहीं दी जा सकती है, जिसकी सूचना जरिये पत्र प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा अपने पत्रांक/2019/694 दिनांक 04.11.2019 से प्रेषित कमेन्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक/2019/333 दिनांक 28.08.2019 से सूचित किया जा चुका है कि उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 9 तक की समस्त सूचनाऐं ग्राम पंचायत झालरबावडी से संबंधित है तथा चाही गई सूचना से संबंधित कोई दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय रावतभाटा में उपलब्ध नहीं होने से सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है तथा बिन्दु संख्या 10 के संबंध मे चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित हो स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त किए जाने हेतु सूचित किया गया है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित तो किया गया है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.08.2019 के बिन्दु संख्या 1 से 9 तक की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा से संबंधित नहीं होकर ग्राम पंचायत झालरबावडी से संबंधित होने से, सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को अपीलार्थी द्वारा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौडगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 87 / 2019 (सू.अ.)
श्री राहुल जैन एडवोकेट निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रस्तुत आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत झालरबावडी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से पांच दिवस के भीतर स्थानान्तरित करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है जो कि खेदजनक है अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन निर्णय दिनांक से 05 दिवस के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें तथा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, झालरबावडी नियत समयावधि में अपीलार्थी को निः शुल्क सूचना उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 87 / 2019(सू.अ.) / 676 दिनांकः– 06 / 11 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
2. लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत झालरबावडी
3. श्री राहुल जैन एडवोकेट पिता निर्मल कुमार जैन निवासी टाईप–03, 8 एच, अणु किरण कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:44:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: